

नगर पालिका, पदमपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/PADAMPUR/FIRENOC/2024-25/47747
जारी दिनांक: 11-AUG-2025 वैधता दिनांक: 10-AUG-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MANISH PARNAMI
आवेदक का पता: 98, A BLOCK, PADAMPUR, SRIGANGANAGAR, RAJASTHAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SHRI KRISHAN VIDHYALYA PRABANDHAK SAMITI, 01, JAITSAR ROAD, JAITSAR ROAD, PADAMPUR, SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भवन/परिसर तक फायर टैंडर घुमाने व खड़ा होने के लिए हमेशा पर्याप्त सड़क/स्थान रखा जावेगा।
- भवन में फायर ट्रेड कर्मी होना चाहिए।
- भवन/परिसर के निकासी द्वार पर किसी प्रकार का सामान न रखा जावे या किसी भी प्रकार का अवरोधक नहीं होना चाहिए।
- भूमि व भवन संबंधी किसी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा, इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाना होगा अन्यथा भौतिक सत्यापन के अभाव में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षण कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- भवन के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से वैधता दिनांक तक की अवधि हेतु ही मान्य होगा वैधता दिनांक बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, पदमपुर